



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : /1966...../NGT146/OA-309/2022/2022

दिनांक 28/10/2022

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

**Sub: Joint Report to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi in OA No-309/2022 Rambharose Tomar Versus State of Uttar Pradesh and Others**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject inspection has been carried out by the constituted Committee in compliance of orders of Hon'ble National Green Tribunal in OA No-309/2022 Rambharose Tomar Versus State of Uttar Pradesh and Others. Joint report is hereby attached for kind perusal and necessary action please.


**Enclosure: Joint report.**

Yours Sincerely

  
(Utsav Sharma)  
Regional Officer

**Copy to:**

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

  
Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

**मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other के सम्बन्ध मे निरीक्षण आख्या।**

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को आदेश पारित किए गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:-

“.....Mr. Rambharose Tomar, Patron Member of Rashtriya Manav Adhikar Evam Bhrashtachar Nivaran Sangh, Hapur, Uttar Pradesh has sent the present letter petition complaining that the brick kilns enlisted in the letter petition namely M/s Vikas Brick Field, Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Dev Brick Field Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur, M/s Vikas Ent Udyog, Village Sarawani, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s M.T.J Brick Village Sarawani Simbhaoli, Garh, Hapur; m/s M.J.T Ent Udyog, Village Badli, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Navin Brick Field (Old Name Laxmi Brick Field, Gulshan Brick Field), Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s Nambardar Brick Field, Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s T.P Brick Field, Village Sikheda, Dhaulana, Hapur; M/s Sai Brick Field (Old Name Hindi Brick Field), Village Sukhdevpur, Dhaulana, Hapur (Shree Sai Brick Field); and M/s Arif Brick Field, Shikeda Dhaulana, Hapur are illegally operating in violation of environmental norms, rules and regulations.

In view of the serious allegations made in the present letter petition, we consider it appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of SEIAA, State PCB and District Magistrate, Hapur. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”


उपरोक्त के क्रम मे संयुक्त समिति के सदस्य प्रहलाद सिंह, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, हापुड, डॉ बी0बी0 अवरस्थी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण, उ0प्र0, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सुभाष चन्द्र, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.08.2022 को शिकायत में उल्लेखित ईट भट्टो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. **मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, तहसील-गढमुक्तेश्वर, हापुड:-**निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक कुमार ईट भट्टा मैनेजर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है:-

- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत सत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर एवं बाहर पक्की हुयी ईट भण्डारित पायी गयी, जिसकी संख्या उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा लगभग 11 लाख अवगत करायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा आयताकार आकार एवं नेचुरल ड्राफ्ट का है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35871/सी-1/सा0-280/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-1)।

- उक्त ईट भट्टा का पूर्व में निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर ₹0 12,500/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये ईट भट्टा स्वामियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या 22/सी/ईट भट्टा-686/2022 दिनांक 05.04.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी, तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 24.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बन्द पाया गया था। संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पर भण्डारित पायी गयी ईटों की मात्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व निरीक्षण दिनांक 05.04.2022 एवं 24.06.2022 के मध्य ईट भट्टा का संचालन किया गया है, तत्कम में ईट भट्टा पर दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 23.06.2022 तक कुल दिन 79 हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार ₹0 6250/प्रतिदिन- के अनुसार 79x6250=4,93,750/- (₹0 चार लाख तिराहनबे हजार सात सो पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं पूर्व पत्र के क्रम में अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक 1957/ईट भट्टा-686/2022 दिनांक 21.10.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-2)।


- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



2. मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा, आलमगीरपुर, तहसील-गढमुक्तेश्वर, हापुड:- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री कुलदीप तोमर ईट भट्टा मैनेजर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-


- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत शत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर व बाहर पक्की हुयी ईट एवं बाहर कच्ची ईट भण्डारित पायी गयी। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कच्ची ईट की संख्या लगभग 4 लाख व पक्की ईट की संख्या लगभग 5 लाख अवगत करायी गयी।

- उक्त ईट भट्टा आयताकार आकार एवं नेचुरल ड्राफ्ट का है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35880/सी-1/सा०-289/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-3)।
- उक्त ईट भट्टा का पूर्व में निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर रू० 56,250/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये ईट भट्टा स्वामियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक 20/सी/ईट भट्टा-820/2022 दिनांक 05.04.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी, तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 24.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बन्द पाया गया था। संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पर भण्डारित पायी गयी ईटों की मात्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व निरीक्षण दिनांक 05.04.2022 एवं 24.06.2022 के मध्य ईट भट्टा का संचालन किया गया है, तत्कम में ईट भट्टा पर दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 23.06.2022 तक कुल दिन 79 हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाईन के अनुसार रू० 6250/प्रतिदिन- के अनुसार  $79 \times 6250 = 4,93,750/-$  (रू० चार लाख तिराहनबे हजार सात सो पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं पूर्व पत्र के क्रम में अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक 1959/ईट भट्टा-820/2022 दिनांक 21.10.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-4)।
- वर्ष-2021 मे भी उक्त ईट भट्टों पर बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-60684/सी-1/सा०-289/नोटिस/2021 दिनांक 18.03.2021 द्वारा रू० 93750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।(संलग्नक-4ए)।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



3. मैसर्स विकास ईट उधोग, ग्राम सरावनी, तहसील-गढमुक्तेश्वर, हापुड:- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री फारूख, पार्टनर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्टा वर्ष 2019 से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द है।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर व बाहर कच्ची/पक्की ईट नहीं पायी गयी तथा ईट भट्टा विगत सत्र में संचालन स्थिति में नहीं पाया गया।
- उक्त ईट भट्टा ओवल आकार का है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी। ईट भट्टा की परिधि क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35897/सी-1/सा0-306/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-5)।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



4. मैसर्स एम0टी0जे0 ब्रिक, ग्राम सरावनी, तहसील-गढमुक्तेश्वर, हापुड:- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री अब्दुल सलाम, ईट भट्टा स्वामी पुत्र उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्टा वर्ष 2019 से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द है।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर व बाहर कच्ची/पक्की ईट नहीं पायी गयी तथा ईट भट्टा विगत सत्र में संचालन स्थिति में नहीं पाया गया।
- उक्त ईट भट्टा ओवल आकार का है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी। ईट भट्टा की परिधि क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।

- उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35898/सी-1/सा०-307/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-6)।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



5. मैसर्स एम०जे०टी० ईट उद्योग, ग्राम बादली, तहसील-गढमुक्तेश्वर, हापुड:- निरीक्षण के दौरान उक्त ग्राम में कोई ईट भट्टा स्थापित नहीं पाया गया। तत्कम में ग्रामवासियों से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त नाम से ईट भट्टा पूर्व में स्थापित था, जिसका 02 वर्ष पूर्व ध्वस्तीकरण कर दिया गया है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में कृषि का कार्य किया जा रहा है। उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35900/सी-1/सा०-309/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-7)। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-




6. मैसर्स नवीन ब्रिक फील्ड (पुराना नाम लक्ष्मी ब्रिक फील्ड, गुलशन ब्रिक फील्ड), ग्राम मुरशादपुर, तहसील-हापुड, हापुड:- निरीक्षण के दौरान उक्त ग्राम में उक्त नाम से कोई ईट भट्टा स्थापित नहीं पाया गया। तत्कम में ग्रामवासियों से वार्ता की गयी।

वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त नाम से ईट भट्टा पूर्व में स्थापित था, जिसका 02-03 वर्ष पूर्व ध्वस्तीकरण कर दिया गया है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में कृषि का कार्य किया जा रहा है। उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35885/सी-1/सा0-295/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-8)। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



7. मैसर्स नम्बरदार ब्रिक फील्ड, ग्राम मुरशदपुर, तहसील-हापुड, हापुड:- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में कोई उपस्थित नहीं था। आस-पास के लोगों से वार्ता की गयी। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। आस-पास कार्य कर रहे कृषिको द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्टा लगभग 03 वर्ष से बन्द है।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर व बाहर कच्ची/पक्की ईट नहीं पायी गयी तथा ईट भट्टा विगत सत्र में संचालन स्थिति में नहीं पाया गया।
- उक्त ईट भट्टा ओवल आकार का है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी। ईट भट्टा की परिधि क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-9)।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-




8. मैसर्स टी0पी0 ब्रिक फील्ड, (न्यू नाम एस0आर0 ब्रिक फील्ड), ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, हापुड:- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री इन्द्रपाल ईट भट्टा मैनेजर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत शत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर एवं बाहर पक्की हुयी ईट भण्डारित पायी गयी, जिसकी संख्या उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा लगभग 12 लाख अवगत करायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा की परिधि एक तरफ आयताकार एवं एक तरफ ओवल पायी गयी। ईट भट्टा को पूर्ण रूप से आयाताकर में परिवर्तित नही किया गया है।
- ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नही पायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नही है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35888/सी-1/सा0-297/बन्दी आदेश-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है तथा उक्त ईट भट्टा स्वामी के विरुद्ध विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जल एवं वायु/सी0बी0आई0 कोर्ट, लखनऊ में दिनांक 19.11.2019 को परिवाद दायर किया गया है, (संलग्नक-10)।
- उक्त ईट भट्टा का पूर्व में निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.03.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर रू0 50,000/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक 2287/सी/ईट भट्टा-791/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है, तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बन्द पाया गया था। संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पर भण्डारित पायी गयी ईटों की मात्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि ईट भट्टा के पूर्व निरीक्षण दिनांक 25.03.2022 एवं 01.06.2022 के मध्य दिनांक 26.06.2022 से दिनांक 30.05.2022 तक ईट भट्टा का संचालन किया गया है। तत्कम में ईट भट्टा पर दिनांक 26.03.2022 से दिनांक 30.05.2022 तक कुल दिन 66 हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाईन के अनुसार रु0 6250/प्रतिदिन—के अनुसार  $66 \times 6250 = 412500/-$  (रु0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है। (संलग्नक-11)।


- वर्ष-2021 में भी उक्त ईट भट्टे पर बोर्ड के पत्रांक 2802/सी/ईट भट्टा-770/2021 दिनांक 26.03.2021 द्वारा रु0 31250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। उक्त ईट भट्टा स्वामियों के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 2571/ईट भट्टा-770/19 दिनांक 31.07.2019 द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-12)।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



9. मैसर्स श्री साई ब्रिक फील्ड(पुराना नाम हिन्द ब्रिक फील्ड), ग्राम-सुखदेवपुर, तहसील-धौलाना, हापुड:- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सत्यप्रकाश ईट भट्टा स्वामी उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत शत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर एवं बाहर पक्की हुयी ईट तथा ईट बाहर कच्ची ईट भण्डारित पायी गयी, भण्डारित कच्ची ईट की संख्या लगभग 6 लाख एवं पक्की हुयी ईट लगभग 7 लाख अवगत करायी गयी।
- उक्त ईट भट्टा आयाताकार एवं जिंग जैग पद्धति का नेचुरल ड्राफ्ट है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित पायी गयी।


- उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति जल/वायु वैधता अवधि दिनांक 31.07.2027 तक प्राप्त है।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश की सूची में संचालन हेतु अनुमन्य किया गया है(संलग्नक-13)।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



10. **मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम सिखेडा, तहसील-धौलाना, हापुड:-** निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सुधीर कुमार ईट भट्टा मैनेजर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-
- निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत शत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
  - निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर एवं बाहर पक्की हुयी ईट भण्डारित पायी गयी, जिसकी संख्या उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा लगभग 14 लाख अवगत करायी गयी।
  - उक्त ईट भट्टा आयाताकार एवं जिंग जैग पद्धति का नेचुरल ड्राफ्ट है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित पायी गयी।
  - उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-56800/सी-1/सहमति वायु/बन्दी आदेश/जी-1812/2015 दिनांक 04.03.2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा

31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है (संलग्नक-14)।

- उक्त ईट भट्टा का पूर्व में निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.03.2022 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर रू० 12500/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक 2288/सी/ईट भट्टा-772/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है, तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बन्द पाया गया था। तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण दिनांक 03.07.2022 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था, तत्कम में ईट भट्टे के विरुद्ध दिनांक 02.06.2022 से दिनांक 03.07.2022 तक कुल दिन 32 हेतु रू० 2,00,000/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक 995/सी/ईट भट्टा-772/2022 दिनांक 07.07.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है (संलग्नक-15)।
- निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।




(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गाजियाबाद।

  
28/10/2022

(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गाजियाबाद।

  
28/10/22

(डॉ० बी०बी० अवरस्थी)  
सदस्य  
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात  
प्राधिकरण, उ०प्र०

  
28/10/22

(प्रहलाद सिंह)  
उपजिलाधिकारी,  
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H-35071 / सी-1 / सा०-280 / बन्दी आदेश-वायु/2019

दिनांक : 15/05/19

मै० विकास ब्रिक फील्ड,  
ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़  
हापुड़

~~807~~  
807

यह कि मै० विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.04.2019 को किया गया उक्त ईट भट्टा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में स्थित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् ई०पी०सी०ए०, दिल्ली के निर्देशानुसार इन्ड्यूस्ट्रियल ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शोप में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुए संचालित है। ईट भट्टे को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-18.01.2019 द्वारा इन्ड्यूस्ट्रियल ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शोप में पूर्ण रूप से परिवर्तित किये जाने एवम् राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसका अनुपालन भट्टे द्वारा नहीं किया गया। ईट भट्टा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया जो कि वायु अधिनियमों का स्पष्ट उलंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्टे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ्य पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्टे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्टे के संचालन को रोका जाये।

.....2

A-0152

4

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मै0 विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ अपनी औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( ए0 के0 तिवारी )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-हापुड़।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद- हापुड़।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद- हापुड़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



## क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 82/सी/ईट भटठा-606/2022

दिनांक 05/04/2022

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय: मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड का निरीक्षण इस कार्यालय के कार्मिक द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी०एन०जी० द्वारा संचालित ईट भटठों के अतिरिक्त किसी भी ईट भटठे का संचालन अनुमन्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भटठा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भटठा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भटठे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था। वर्तमान वर्ष 2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुपालन हेतु दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित करायी गयी है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट भटठा मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड के विरुद्ध रु० 12,500/- (रुपया बारह हजार पाच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी-सदर, हापुड को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

**मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड की निरीक्षण आख्या।**

उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश, मुनीम उपस्थित थे। विस्तृत आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच-35871/सी-1/सा0-280/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
2. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भट्टा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्रांक 2580/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भट्टा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्रांक 2576/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भट्टे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था।
3. वर्तमान वर्ष 2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी0एन0जी0 द्वारा संचालित ईट भट्टों के अतिरिक्त किसी भी ईट भट्टे का संचालन अनुमत्य नहीं है, के सम्बद्ध में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित करायी गयी है, जो निम्नवत् है:-

 **क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद**  
Regional Office: U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad-201012  
Website: www.uppcb.com | Email: roghaziabad@uppcb.in  
Phone No.: 0120-4160108

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 125/2019 श्री विकास सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य एवं ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 17.02.2021 को पारित आदेशानुसार एन0सी0आर0 क्षेत्र में ईट भट्टों का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में विभिन्न स्तरों से समय-समय पर समस्त ईट भट्टा निर्माताओं / संचालकों / संगठनों को अवगत कराया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार जनपद हापुड व जनपद गाजियाबाद में माह अप्रैल, मई एवं जून में Negative Carrying Capacity दर्शायी गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि

"...Since there is variance of figures given during March to June, only such number can be allowed which can be sustained throughout the period."

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अधिम आदेशों तक जनपद गाजियाबाद व हापुड में माह मार्च से जून की अवधि में ईट भट्टों का संचालन मात्र क्लीन फ्यूल (पी0एन0जी0) पर ही किया जाना अनुमत्य होगा। उक्त की अवहेलन पाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**क्षेत्रीय अधिकारी**  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

4. वर्तमान में किसी भी ईट भट्टे में पी0एन0जी0 का प्रयोग कर संचालन करने की व्यवस्था स्थापित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में किसी भी ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जा सकता।

कू0प0उ0


5. निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया। फोटो ग्राफ निम्नवत् है:-



6. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे की फुकाई का कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टे की फुकाई दिनांक 04.04.2022 में की गई। उक्त के क्रम में number of days 04.04.2022 से दिनांक 05.04.2022 (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02)मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशो की उल्लघन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, कितौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
(रंजीत सिंह)  
अवर अभियंता

  
(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- [www.rippcb.com](http://www.rippcb.com), e-mail: roghaziabad@rippcb.in

1957

संदर्भ संख्या : 1957/2022

दिनांक 21/10/2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय: मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, तहसील-गढमुक्तेश्वर, हापुड़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण दिनांक 23.08.2022 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है।

निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्टा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

मैसर्स विकास ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, तहसील-गढमुक्तेश्वर, हापुड की आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को आदेश पारित किए गये हैं, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....Mr. Rambharose Tomar, Patron Member of Rashtriya Manav Adhikar Evam Bhrashtachar Nivaran Sangh, Hapur, Uttar Pradesh has sent the present letter petition complaining that the brick kilns enlisted in the letter petition namely M/s Vikas Brick Field, Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Dev Brick Field Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur, M/s Vikas Ent Udyog, Village Sarawani, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s M.T.J Brick Village Sarawani Simbhaoli, Garh, Hapur; m/s M.J.T Ent Udyog, Village Badli, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Navin Brick Field (Old Name Laxmi Brick Field, Gulshan Brick Field), Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s Nambardar Brick Field, Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s T.P Brick Field, Village Sikheda, Dhaulana, Hapur; M/s Sai Brick Field (Old Name Hindi Brick Field), Village Sukhdevpur, Dhaulana, Hapur (Shree Sai Brick Field); and M/s Arif Brick Field, Shikeda Dhaulana, Hapur are illegally operating in violation of environmental norms, rules and regulations.

In view of the serious allegations made in the present letter petition, we consider it appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of SEIAA, State PCB and District Magistrate, Hapur. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."


उपरोक्त के क्रम में संयुक्त समिति के सदस्य प्रहलाद सिंह, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, हापुड, डॉ बी0बी0 अवस्थी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण, उ0प्र0, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सुभाष चन्द्र, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.08.2022 को शिकायत में उल्लेखित ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक कुमार ईट भट्टा मैनेजर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत सत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
2. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर एवं बाहर पक्की हुयी ईट भण्डारित पायी गयी, जिसकी संख्या उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा लगभग 11 लाख अवगत करायी गयी।
3. उक्त ईट भट्टा आयताकार आकार एवं नेचुरल ड्राफ्ट का है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी।
4. उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35871/सी-1/सा0-280/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
5. उक्त ईट भट्टा का पूर्व में निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर कार्यालय के पत्रांक 22/सी/ईट भट्टा-686/2022 दिनांक 05.04.2022 द्वारा



रु0 12,500/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये ईट भट्टा स्वामियों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 24.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बन्द पाया गया था।

6. संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पर भण्डारित पायी गयी ईटों की मात्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि ईट भट्टा के पूर्व निरीक्षण दिनांक 05.04.2022 एवं 24.06.2022 के मध्य दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 23.06.2022 तक ईट भट्टा का संचालन किया गया है। तत्कम में ईट भट्टा पर दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 23.06.2022 तक कुल दिन 79 हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाईन के अनुसार रु0 6250/प्रतिदिन- के अनुसार  $79 \times 6250 = 4,93,750/-$  (रु0 चार लाख तिराहनबे हजार सात सो पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है।
7. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



8. उक्त ईट भट्टा पर पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 22/सी/ईट भट्टा-686/2022 दिनांक 05.04.2022 द्वारा रु0 12500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं पूर्व पत्र के अनुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक

(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



2205 संलग्नक - 3  
2014

# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

820

पंजीकृत

पत्रांक : H-35000 / सी-1 / सा०-289 / बन्दी आदेश-वायु / 2019

दिनांक : 15/05/19

मै० देव ब्रिक फील्ड,  
ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़,  
हापुड़

820

यह कि मै० देव ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.04.2019 को किया गया उक्त ईट भट्टा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में स्थित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् ई०पी०सी०ए०, दिल्ली के निर्देशानुसार इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेष में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुए संचालित है। ईट भट्टे को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-18.01.2019 द्वारा इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेष में पूर्ण रूप से परिवर्तित किये जाने एवम् राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसका अनुपालन भट्टे द्वारा नहीं किया गया। ईट भट्टा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया जो कि वायु अधिनियमों का स्पष्ट उलंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्टे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्टे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्टे के संचालन को रोका जाये।

.....2

Ar BISA

N1

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मै0 देव ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 देव ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ अपनी औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 देव ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( ए0 के0 तिवारी )

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-हापुड़।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद- हापुड़।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद- हापुड़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 20/सी/ईट भटठा-020/2022

दिनांक 05/04/2022

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय: मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड का निरीक्षण इस कार्यालय के कार्मिक द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी0एन0जी0 द्वारा संचालित ईट भटठों के अतिरिक्त किसी भी ईट भटठे का संचालन अनुमन्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भटठा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भटठा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भटठे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था। वर्तमान वर्ष 2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुपालन हेतु दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित करायी गयी है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड के विरुद्ध रु0 56,250/- (रूपया छप्पन हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी-सादर, हापुड को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

**मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड की निरीक्षण आख्या।**

उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश, मुनीम उपस्थित थे। विस्तृत आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच-35880/सी-1/सा0-289/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
2. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भट्टा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्रांक 2580/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भट्टा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्रांक 2576/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भट्टे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था।
3. वर्तमान वर्ष 2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी0एन0जी0 द्वारा संचालित ईट भट्टों के अतिरिक्त किसी भी ईट भट्टे का संचालन अनुमत्य नहीं है, के सम्बद्ध में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित करायी गयी है, जो निम्नवत् है:-

 **क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद**  
Regional Office: U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad-201012  
Website: www.uppcb.com | Email: roghaziabad@uppcb.in  
Phone No.: 0120-4160108

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 125/2019 श्री विकास सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य एवं ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 17.02.2021 को पारित आदेशानुसार एन0सी0आर0 क्षेत्र में ईट भट्टों का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में विभिन्न स्तरों से समय-समय पर समस्त ईट भट्टा निर्माताओं / संचालकों / संगठनों को अवगत कराया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार जनपद हापुड व जनपद गाजियाबाद में माह अप्रैल, मई एवं जून में Negative Carrying Capacity दर्शायी गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "...Since there is variance of figures given during March to June, only such number can be allowed which can be sustained throughout the period."


उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अग्रिम आदेशों तक जनपद गाजियाबाद व हापुड में माह मार्च से जून की अवधि में ईट भट्टों का संचालन मात्र बलीन फ्यूल (पी0एन0जी0) पर ही किया जाना अनुमत्य होगा। उक्त की अवहेलन पाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**क्षेत्रीय अधिकारी**  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

4. वर्तमान में किसी भी ईट भट्टे में पी0एन0जी0 का प्रयोग कर संचालन करने की व्यवस्था स्थापित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में किसी भी ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जा सकता।

कू0प0उ0

5. निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया। फोटो ग्राफ निम्नवत् है:-




6. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे की फुकाई का कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टे की फुकाई दिनांक 28.03.2022 में की गई। उक्त के क्रम में number of days 28.03.2022 से दिनांक 05.04.2022 (N=09) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(09)मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x09x250x0.5x1.0=56,250/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशो की उल्लघन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, किठौर रोड, तहसील एवं जनपद-हापुड पर रू0 56,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
(रंजीत सिंह)  
अवर अभियंता

  
(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1959/ई-020/2022

दिनांक 21/8/2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

*Meel*

विषय: मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा आलमगीरपुर, तहसील—गढमुक्तेश्वर, हापुड़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण दिनांक 23.08.2022 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है।

निरीक्षण आख्यानुसार ईट भटठा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*(उत्सव शर्मा)*  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम गोहरा, आलमगीरपुर, तहसील—गढमुक्तेश्वर, हापुड़ की आख्या।

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को आदेश पारित किए गये हैं, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:—

“.....Mr. Rambharose Tomar, Patron Member of Rashtriya Manav Adhikar Evam Bhrashtachar Nivaran Sangh, Hapur, Uttar Pradesh has sent the present letter petition complaining that the brick kilns enlisted in the letter petition namely M/s Vikas Brick Field, Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Dev Brick Field Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur, M/s Vikas Ent Udyog, Village Sarawani, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s M.T.J Brick Village Sarawani Simbhaoli, Garh, Hapur; m/s M.J.T Ent Udyog, Village Badli, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Navin Brick Field (Old Name Laxmi Brick Field, Gulshan Brick Field), Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s Nambardar Brick Field, Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s T.P Brick Field, Village Sikheda, Dhaulana, Hapur; M/s Sai Brick Field (Old Name Hindi Brick Field), Village Sukhdevpur, Dhaulana, Hapur (Shree Sai Brick Field); and M/s Arif Brick Field, Shikeda Dhaulana, Hapur are illegally operating in violation of environmental norms, rules and regulations.

In view of the serious allegations made in the present letter petition, we consider it appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of SEIAA, State PCB and District Magistrate, Hapur. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”


उपरोक्त के क्रम में संयुक्त समिति के सदस्य प्रहलाद सिंह, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, हापुड़, डॉ० बी०बी० अवस्थी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण, उ०प्र०, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सुभाष चन्द्र, वैज्ञानिक सहायक, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.08.2022 को शिकायत में उल्लेखित ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री कुलदीप तोमर ईट भट्टा मैनेजर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:—

1. निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत शत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
2. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर व बाहर पक्की हुयी ईट एवं बाहर कच्ची ईट भण्डारित पायी गयी। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कच्ची ईट की संख्या लगभग 4 लाख व पक्की ईट की संख्या लगभग 5 लाख अवगत करायी गयी।
3. उक्त ईट भट्टा आयताकार आकार एवं नेचुरल ड्राफ्ट का है। ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी।
4. उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35880/सी-1/सा०-289/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
5. उक्त ईट भट्टा का पूर्व में निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर रू० 56,250/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये ईट भट्टा स्वामियों के



विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी, तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 24.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बन्द पाया गया था।

6. संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पर भण्डारित पायी गयी ईटों की मात्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि ईट भट्टा के पूर्व निरीक्षण दिनांक 05.04.2022 एवं 24.06.2022 के मध्य दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 23.06.2022 तक ईट भट्टा का संचालन किया गया है। तत्कम में ईट भट्टा पर दिनांक 06.04.2022 से दिनांक 23.06.2022 तक कुल दिन 79 हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाईन के अनुसार रु० 6250/प्रतिदिन- के अनुसार  $79 \times 6250 = 4,93,750/-$  (रु० चार लाख तिराहनबे हजार सात सो पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है।
7. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



8. उक्त ईट भट्टा पर पूर्व में बोर्ड के पत्रांक 20/सी/ईट भट्टा-820/2022 दिनांक 05.04.2022 द्वारा रु० 56,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।
9. वर्ष-2021 में भी उक्त ईट भट्टों पर बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-60684/सी-1/सा०-289/नोटिस/2021 दिनांक 18.03.2021 द्वारा रु० 93750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार ईट भट्टा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं पूर्व पत्र के अनुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक

(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स देव ब्रिक फील्ड, ग्राम-गोहरा आलमगीरपुर, तहसील-गढमुक्तेश्वर, जनपद-हापुड की निरीक्षण आख्या।

उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 24.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। उक्त ईट भट्टा का पूर्व निरीक्षण दिनांक 05.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर रू0 56,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Amil Gupta*

(अमित गुप्ता)

जे0आर0एफ0

*Ujjwal Verma*

(ध्रुवदेव वर्मा)

एल0ए0

सहा0पर्या0अभियंता / क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

*[Signature]*



संलग्न-4A

399

ELB

डियर 890

# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

दिनांक:

18-3-21

पत्रांक /सी-1/सा०-289/नोटिस/2021

सेवा में,

मैसर्स देव ब्रिक फील्ड,  
ग्राम-गोहरा आलमगीर, किठौर रोड,  
तहसील-हापुड,  
जिला-हापुड

**विषय :** भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन न किये जाने के कारण राज्य बोर्ड द्वारा आपके भट्टे के विरुद्ध दिनांक-15.05.2019 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत किया गया था। तत्कम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक-10.03.2021 द्वारा भट्टे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रूपया-93,750/- (रूपया तिरानबे हजार सात सौ पचास) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरान्त भट्टे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

“यह कि क्यों न मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर आपके भट्टे के विरुद्ध रूपया-93,750/- (रूपया तिरानबे हजार सात सौ पचास) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये?

उपरोक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके भट्टे के विरुद्ध रूपया-93,750/- (रूपया तिरानबे हजार सात सौ पचास) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं को होगा।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**प्रतिलिपि :** क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भट्टे के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु ईट भट्टा संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति/स्वामी का नाम एवम् पता पूर्ण अभिलेखों सहित बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



2/5/19 संलग्नक - 5

9.15

# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H-35097 / सी-1 / सा०-306 / बन्दी आदेश-वायु/2019

दिनांक : 15/05/19

मै० विकास ईट उद्योग,  
ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़,  
हापुड़

यह कि मैं विकास ईट उद्योग, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्ठे का स्थल निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.04.2019 को किया गया उक्त ईट भट्ठा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में स्थित है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्ठा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् ई०पी०सी०ए०, दिल्ली के निर्देशानुसार इन्ड्यूस्ट्रियल ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शोप में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुए संचालित है। ईट भट्ठे को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-18.01.2019 द्वारा इन्ड्यूस्ट्रियल ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शोप में पूर्ण रूप से परिवर्तित किये जाने एवम् राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसका अनुपालन भट्ठे द्वारा नहीं किया गया। ईट भट्ठा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया जो कि वायु अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्ठे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्ठे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

.....2

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मैं विकास ईट उद्योग, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मैं विकास ईट उद्योग, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ अपनी औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैं विकास ईट उद्योग, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( ए० के० तिवारी )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-हापुड़।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद- हापुड़।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद- हापुड़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

Vish

911

## उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H-35098 /सी-1/सा०-307/बन्दी आदेश-वायु/2019

दिनांक : 15/05/19

मै० एम०टी०जे० ब्रिक,  
ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़,  
हापुड़

821

यह कि मै० एम०टी०जे०, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.04.2019 को किया गया उक्त ईट भट्टा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में स्थित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् ई०पी०सी०ए०, दिल्ली के निर्देशानुसार इन्ड्यूस्ट्रियल ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेष में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुए संचालित है। ईट भट्टे को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-18.01.2019 द्वारा इन्ड्यूस्ट्रियल ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेष में पूर्ण रूप से परिवर्तित किये जाने एवम् राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसका अनुपालन भट्टे द्वारा नहीं किया गया। ईट भट्टा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया जो कि वायु अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्टे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ्य पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्टे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्टे के संचालन को रोका जाये।

.....2

B/SQ.

W

निरीक्षण बोर्ड (वायु प्रदूषण नियंत्रण)

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मै० एम०टी०जे०, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै० एम०टी०जे०, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ अपनी औद्योगिक प्रक्रिया से संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मै० एम०टी०जे०, ग्राम-सरावनी, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( ए० के० तिवारी )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-हापुड़।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद- हापुड़।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद- हापुड़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, १२

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H-35900 / सी-1 / सा०-309 / बन्दी आदेश-वायु / 2019

दिनांक : 15/05/19

मै० एम०जे०टी० ईट उद्योग,  
ग्राम-बाडली, सिम्भौली, गढ़,  
हापुड़

१२६

यह कि मै० एम०जे०टी० ईट उद्योग, ग्राम-बाडली, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.04.2019 को किया गया उक्त ईट भट्टा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में स्थित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् ई०पी०सी०ए०, दिल्ली के निर्देशानुसार इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेष में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुए संचालित है। ईट भट्टे को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-18.01.2019 द्वारा इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेष में पूर्ण रूप से परिवर्तित किये जाने एवम् राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसका अनुपालन भट्टे द्वारा नहीं किया गया। ईट भट्टा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया जो कि वायु अधिनियमों का स्पष्ट उलंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्टे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ्य पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्टे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्टे के संचालन को रोका जाये।

.....2

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मै० एम०जे०टी० ईट उद्योग, ग्राम-बाडली, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै० एम०जे०टी० ईट उद्योग, ग्राम-बाडली, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ अपनी औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मै० एम०जे०टी० ईट उद्योग, ग्राम-बाडली, सिम्भौली, गढ़, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( ए० के० तिवारी )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-हापुड़।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद- हापुड़।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद- हापुड़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H-35005/सी-1/सा०-295/बन्दी-आदेश-वायु/2019

दिनांक : 15/05/19

मै० नवीन ब्रिक फील्ड,  
(लक्ष्मी ब्रिक फील्ड, गुलशन ब्रिक फील्ड),  
ग्राम-मुरशादपुर, हरसिंगपुर,  
हापुड़

 176

यह कि मै० नवीन ब्रिक फील्ड, (लक्ष्मी ब्रिक फील्ड, गुलशन ब्रिक फील्ड), ग्राम-मुरशादपुर, हरसिंगपुर, हापुड़ जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्ठे का स्थल निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-01.05.2019 को किया गया उक्त ईट भट्ठा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में स्थित है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्ठा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् ई०पी०सी०ए०, दिल्ली के निर्देशानुसार इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेप में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुए संचालित है। ईट भट्ठे को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-18.01.2019 द्वारा इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेप में पूर्ण रूप से परिवर्तित किये जाने एवम् राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसका अनुपालन भट्ठे द्वारा नहीं किया गया। ईट भट्ठा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया जो कि वायु अधिनियमों का स्पष्ट उलंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्ठे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ्य पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्ठे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

.....2

APM/B/SB



अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मै0 दीप ईट उद्योग, ग्राम-ततारपुर, हापुड़ को निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 दीप ईट उद्योग, ग्राम-ततारपुर, हापुड़ अपनी औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 दीप ईट उद्योग, ग्राम-ततारपुर, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( ए0 के0 तिवारी )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-हापुड़।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद- हापुड़।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद- हापुड़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H75376 /सी-1/सा०-421/बन्दी आदेश-वायु/2022

दिनांक : 10/05/2022

सूची संलग्न  
जनपद-हापुड़

यह कि ईट भट्ठा जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नम्बर-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & ors. में दिनांक-08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (यू०पी० एवम् हरियाणा) में विभिन्न शर्तें अधिरोपित करते हुए ईट भट्ठों का संचालन अनुमन्त्र किया है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-CPCB-IPC-5/Brick Kiln/2022 दिनांक-04 मई, 2022 द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक-08.04.2022 के अनुक्रम में निर्देशित किया गया है कि "that those brick kilns units which are not falling into permitted criteria as per order dated 08.04.2022 must be closed with immediate effect and UPPCB take necessary steps to ensure closure of those units".

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्ठे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ्य पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्ठे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

.....2

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपके ईट भट्टे के विरुद्ध निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-


1. यह कि ईट भट्टे की औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ईट भट्टे को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए भट्टे को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. जिला खनन अधिकारी, जनपद-हापुड़ ।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-हापुड़ ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्टे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

**Not verified by CPCB/Closure order Issued**

Sr. No.	Tehsil	Name of Brick Kilns	Consent Status
1	GARHMUTESH WAR	M/s Durga Brick Field (old name - Rohit Brick Field), Village - Chandnesh, Tehsil - Garhmukteshwar, District - Hapur	एच-35907/सी-1/सा0-316/बन्दी आदेश-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 एवं दिनांक 17.05.2018
2	GARHMUTESH WAR	M/s Srikrishna Brick Field, Khasra No.-727, Village-Haroda, Phuldera Drain, Tehsil-Garhmukteshwar, District-Hapur	एच-35894/सी-1/सा0-303/बन्दी आदेश वायु/2019 दिनांक 15.05.2019
3	GARHMUTESH WAR	MS VINAYAK BHATTA UDYOG, KHASRA NO.625, VILLAGE-DEHRA KOH, GARHMUTESHWAR, HAPUR ,HAPUR,	31.07.2024
4	GARHMUTESH WAR	S K D BRICK FIELD, KHASRA NO. 114, 113KH, 112KH, VILLAGE-SIKANDARPUR, TEHSIL- GADH MUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2024
5	GARHMUTESH WAR	SATYAM ENT UDYOG, KHASRA NO. 98, 599, GARHMUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2024
6	GARHMUTESH WAR	NATIONAL BRICK FIELD, VILLAGE NAGLA BAD, POST GANDU NAGLA, TEHSIL, GARHMUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2024
7	GARHMUTESH WAR	PRAKESH BRICK FIELD, KHASRA NO.-16, BHAINA TESHIL- GARH MUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
8	GARHMUTESH WAR	M HYAT BRICK FIELD, Khasra N-1364, 1361, DAUTAI, GHAZIABAD,HAPUR,	31.07.2023
9	GARHMUTESH WAR	ALHYAT BRICK FIELD, Khasra No-55, 71, 80, Village Nizampur, Hiranpura, Garh Meerut Road, Hapur,HAPUR,245202	31.07.2023
10	GARHMUTESH WAR	GANGA BRICK FIELD, VILLAGE KHLWAI MEERUT ROAD GARH,HAPUR,245205	31.07.2023
11	GARHMUTESH WAR	R K BRICK FIELD, KHASRA NO.-161, 162, VILLAGE-SIKANDERPUR, GHAR ROAD, TESHIL- GHAR MUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
12	GARHMUTESH WAR	ACHAL BHATTA UDYOG, VILLAGE-SHAHPUR GARH, HAPUR, UP	31.07.2023
13	GARHMUTESH WAR	RAJENDRA BRICK FIELD,VILLAGE-SHAHPUR, HAPUR,UP	31.07.2023
14	GARHMUTESH WAR	BHAGWAN BRICK FIELD, KHASRA NO 804, VILLAGE-BHAGWANPUR, GARH, HAPUR, UP	31.07.2023
15	GARHMUTESH WAR	GARHMUKTESHWAR BRICK FIELD, dadoo bahwan simbhaoli,HAPUR,	31.07.2023
16	GARHMUTESH WAR	LAXMI BRICK FIELD, VILLAGE CHANDNER GARH,HAPUR,245205	31.07.2023
17	GARHMUTESH WAR	GOEL BRICK FIELD, KHASRA NO-2169, VILLAGE GADH BAKSAR , GADHMUKTESHWAR, HAPUR, UP	31.07.2023
18	GARHMUTESH WAR	SK BHATTA CO, MOHALLA GHOSIYAN GARH,HAPUR,245205	31.07.2023

19	GARHMUTESH WAR	AHASANPUR BRICK FIELD, KHASRA NO-10, 11, VILLAGE AHASANPUR, GARHMUKTESHWAR,HAPUR,	31.07.2022
20	GARHMUTESH WAR	M/S PRAKASH BRICK FIELD, BHAINA TEH. GARH	31.07.2023
21	GARHMUTESH WAR	SHIV BRICK FIELD, Village Dehra Rampur Garhmukteshwar, Hapur,HAPUR,	31.07.2025
22	GARHMUTESH WAR	M/s Vikas Ent Udyog, Village Sarawani Simbhaoli, Garh Hapur	H-35897/C-1/SA-306/Bandi Adesh-Air/2019 dated 15.05.2019
23	GARHMUTESH WAR	M/s. Vikas Brick Field, Village Gohra, Simbhaoli, Garh Hapur	H-35871/C-1/SA-280/Bandi Adesh- Air/2019 dated 15.05.2019
24	GARHMUTESH WAR	M/s M.T.J. Brick, Village Sarawani Simbhaoli, Garh Hapur	H-35898/C-1/SA-307/Bandi Adesh-Air/2019 dated 15.05.2019
25	GARHMUTESH WAR	M/s. M.J. T. Ent Udyog, Village Badli, Simbhaoli, Garh Hapur	H-35900/C-1/SA-309/Bandi Adesh-Air/2019 dated 15.05.2019
26	DHOULANA	AARADHYA BRICK FIELD, VILLAGE- MEERPUR MAJRA, BHATTIYANA, DHOULANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2024
27	DHOULANA	BHARAT BHATTA UDYOG OLA NAME M S BRICK FIELD, Village Sukhdevpur Hapur,HAPUR,	31.07.2024
28	DHOULANA	KISHAN BRICK FIELD, KHASRA NO. 156, 158, VILLAGE- BAJHERA KALAN, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
29	DHOULANA	OM BRICK FIELD, KHASRA NO. 161, VILLAGE-PARAPA, TESHIL- DHOULANA, HAPUR,HAPUR,245301	31.07.2023
30	DHOULANA	JAI DURGA ENT UDYOG, KHASRA NO. 153, 232, 272, 413,445, 446, 454, VILLAGE-KAPURPUR, TESHIL- DHAULANA, DISTRICT-HAPUR,HAPUR	31.07.2023
31	DHOULANA	AYUSH BRICK FIELD old Name Shri bankey Bihari ji Brick Works, khasra No- 541, Narera Road Dhana, Dhoulana, Hapur,HAPUR,	31.07.2023
32	DHOULANA	AMBHEY ENT UDYOG OLD NAME SHEELA DEVI ENT BHATTA UDYOG VIKAS BRICK FIELD PREETI ENT UDYOG, VILLAGE- PARPA, TEHSIL DHAULANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
33	DHOULANA	HARIPUR BRICK FIELD, village dhanaura hapur,HAPUR,245101	31.07.2023
34	DHOULANA	C M BRICK FIELD, KHASRA NO-189, VILLAGE HIMMATNAGAR DHOULANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
35	DHOULANA	MERFTECH DOVELPERS, Khasra No- 200, Village Sikheda Dulana, Hapur,HAPUR,	31.07.2023
36	DHOULANA	KHAN BRICK FILED, KHASRA NO-143, VILLAGE AZAMPUR, DHOLANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2022
37	DHOULANA	JATIN BRICK FIELD, Khasra No-353, Village Himmatnagar, Dholana, Hapur.,HAPUR,	31.07.2022

38	DHOULANA	CHAUDHARY KHALID BRICK FIELD, KHASRA NO-4, VILLAGE HIMMATNAGAR, DHOLANA HAPUR,HAPUR.	31.07.2022
39	DHOULANA	RIZBAAN BRICK FIELD, KHASRA NO-407, VILLAGE AZAMPUR, DHOLANA, HAPUR,HAPUR.	31.07.2022
40	DHOULANA	MUJAHID BRICK FIELD, KHASRA NO-231, 232, 233, VILLAGE HIMMATNAGAR DULANA, HAPUR,HAPUR,245101	31.07.2022
41	DHOULANA	SAJID BRICK FIELD, KHASRA NO. 374, 375, VILLAGE AZAMPUR, DULANA, HAPUR,HAPUR,245101	31.07.2022
42	DHOULANA	HAMID BRICK FIELD, KHASRA NO-271, VILLAGE AZAMPUR, DULANA, HAPUR,HAPUR,245101	31.07.2022
43	DHOULANA	CHAUDHARY SADAF BRICK FIELD, Khasra No-224, 225, 229 & 230, Village Azampur Dhaulana, Hapur	31.12.2022
44	DHOULANA	ANAL INT UDYOG OLD NAME CHANDI BRICK FIELD, Khasra No-221, 223, Village Karimpur Bhaipur Milak, Hapur,HAPUR,	31.07.2024
45	DHOULANA	M/s. T.P. Brick Field, Village Sikheda, Dhaulana, Hapur	Dated-15.05.2019 Parivaad dayar dated 19.11.19
46	DHOULANA	M/s Shiv Eat Industries, Khasra No. 54, Village-Sapnawat, Tehsil-Dhaulana, District Hapur	एच-35907/सी-1/सा0-316/बन्दी आदेश-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019
47	DHOULANA	M/s Haq Brick Field, Village-Bacheda Kalan, Tehsil-Dhaulana, District-Hapur	दिनांक 17.05.2018
48	HAPUR	MAHADEV BRICK FIELD, VILLAGE-ASAOURA, KITHORE ROAD, HAPUR, UP	31.07.2023
49	HAPUR	SHIV INT UDYOG, VILLAGE ALAM NAGAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
50	HAPUR	G N BRICK FIELD, KHASRA NO-516, VILLAGE DHANORA,HAPUR,	31.07.2023
51	HAPUR	GANESH BRICK FIELD, KHASRA NO-880, VILLAGE GHIRDHARPUR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
52	HAPUR	DALCHAND BRICKS FIELD, NH-24, vill. Badarkha,HAPUR,245205	31.07.2023
53	HAPUR	ANIL BRICK FIELD, ANIL BRICK FIELD VILL DHANORA SHYAMPUR ROAD DISTT HAPUR,HAPUR,245101	31.07.2023
54	HAPUR	M/s. navin Brick Field (Old Name Laxmi Brick Field, Gulshan Brick Field), Village Murshadpur Post harsinghpur, Hapur	H-35888/C-1/SA-295/Bandi Adesh-Air/2019 dated 15.05.2019
55	HAPUR	M/s. Nambardar Brick Field, Village Murshadpur Post harsinghpur, Hapur	Dated-15.05.2019 Parivaad dayar dated 19.11.19
56	HAPUR	M/s Deep Eat Industries, Khasra No.-160, Village-Tatarpur, Tehsil-Hapur Sadar, District-Hapur	एच-35889/सी-1/सा0-298/बन्दी आदेश-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019
57	HAPUR	Rudra Brick Field , Gram Badnaoli, The Hapur,Distt.Hapur	H-60680/C-1/SA 659/Bandi Adesh Air/2021 dated 18.03.2021
58	HAPUR	M/s Vikas Brick Field, Village Gohra Alamgirpur, Kithor Road, Tehsil and District- Hapur	एच-35871/सी-1/सा0-280/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019

59	HAPUR	M/s Raju Brick Field, Village Agapur Sarai, Tehsil and District- Hapur	एच-35870/सी-1/सा0-279/बन्दी-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019
60	HAPUR	M/s Irfan Brick Field, Village-Ahmadpur Naya Gaon, Tehsil-Hapur, District-Hapur	एच-35904/सी-1/सा0-313/बन्दी आदेश वायु/2019 दिनांक 15.05.2019
61	HAPUR	Bharat Brick Field, Ahmadpur Hapur	एच-35905 दिनांक 15.05.2019
62	HAPUR	M/s. Rana Brick Field, Village Alampur, hapur	H-35902 dated 15.05.2019

verified by CPCB but closure order issued/not consented

Sr. No.	Tehsil	Name of Brick Kilns	Consent Status
1	DHOULANA	M/s. Arif Brick Field, Shikeda Dhoulana Hapur	F-56800/C-1/Sahmati Vayu/Bandi Adesh/G-1812/2015 dated 04.03.2015
2	DHOULANA	M/s. Pradhan Brick field, Village-Sikhera Dhoulana Road, Dhoulana, Hapur	Closure Recommendation Sent to HO
3	HAPUR	M/s. Dev Brick Field, Village Gohra Alamgapur, Kithor Road, Tehsil and District Hapur	एच-35880 / सी-1 / एअ-229 / बन्दी-वायु / 2015 दिनांक 15.03.2015
4	HAPUR	M/s Zubeida Brick Field, Village Salai Alamgapur, Kithor Road, Tehsil and District - Hapur	एच-35901 / सी-1 / एअ-310 / बन्दी-वायु / 2015 दिनांक 15.03.2015
5	HAPUR	M/s A S Brick Field, Village Mahmoodpur, Tehsil and District Hapur	CTO Not Obtained



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

शंखक - 10

पंजीकृत

पत्रांक : H-35888 / सी-1 / सा०-297 / बन्दी आदेश-वायु/2019

दिनांक : 15/05/19

मै० टी०पी० ब्रिक फील्ड,  
ग्राम-सिखेड़ा, धौलाना,  
हापुड़

११०

यह कि मै० टी०पी० ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेड़ा, धौलाना, हापुड़ जो कि कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग करते हुए ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-30.04.2019 को किया गया उक्त ईट भट्टा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में स्थित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्टा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् ई०पी०सी०ए०, दिल्ली के निर्देशानुसार इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेप में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुए संचालित है। ईट भट्टे को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-18.01.2019 द्वारा इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट/हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवम् आयताकार शेप में पूर्ण रूप से परिवर्तित किये जाने एवम् राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसका अनुपालन भट्टे द्वारा नहीं किया गया। ईट भट्टा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया जो कि वायु अधिनियमों का स्पष्ट उलंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा भट्टे द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में ईट भट्टे के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए भट्टे के संचालन को रोका जाये।

.....2

११०

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मै0 टी0पी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेड़ा, धौलाना, हापुड़ को निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 टी0पी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेड़ा, धौलाना, हापुड़ अपनी औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 टी0पी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेड़ा, धौलाना, हापुड़ को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

( ए0 के0 तिवारी )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद-हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-हापुड़।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद- हापुड़।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद- हापुड़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईट भट्ठे के बन्दी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 2287/सी/ईट भटठा-791/2022

दिनांक 31/3/2022

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:** मैसर्स एस०आर० ब्रिक फील्ड(टी०पी० ब्रिक फील्ड), ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत नियमानुसार की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स एस०आर० ब्रिक फील्ड(टी०पी० ब्रिक फील्ड), ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड का निरीक्षण इस कार्यालय के कार्मिक द्वारा दिनांक 25.03.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी०एन०जी० द्वारा संचालित ईट भटठों के अतिरिक्त किसी भी ईट भटठे का संचालन अनुमन्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भटठा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भटठा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भटठे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था। वर्तमान वर्ष 2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुपालन हेतु दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट मैसर्स एस०आर० ब्रिक फील्ड(टी०पी० ब्रिक फील्ड), ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध रु० 50,000/- (रुपया पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी धौलाना, हापुड को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

**मैसर्स एस0आर0 ब्रिक फील्ड(टी0पी0 ब्रिक फील्ड), ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड की निरीक्षण आख्या।**

उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.03.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राकेश उपस्थित थे। विस्तृत आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 15.05.2019 एवं 19.11.2019 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
3. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भट्टा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्रांक 2580/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भट्टा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्रांक 2576/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भट्टे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था।
4. वर्तमान वर्ष 2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी0एन0जी0 द्वारा संचालित ईट भट्टों के अतिरिक्त किसी भी ईट भट्टे का संचालन अनुमत्य नहीं है, के सम्बद्ध में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है, जो निम्नवत् है:-

**क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद**  
Regional Office: U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad-201012  
Website: www.uppcb.com | Email: roghaziabad@uppcb.in  
Phone No.: 0120-4160108

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 125/2019 श्री विकास सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य एवं ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 17.02.2021 को पारित आदेशानुसार एन0सी0आर0 क्षेत्र में ईट भट्टों का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में विभिन्न स्तरों से समय-समय पर समस्त ईट भट्टा निर्माताओं / संचालकों / संगठनों को अवगत कराया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार जनपद हापुड व जनपद गाजियाबाद में माह अप्रैल, मई एवं जून में Negative Carrying Capacity दर्शायी गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "...Since there is variance of figures given during March to June, only such number can be allowed which can be sustained throughout the period."

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अग्रिम आदेशों तक जनपद गाजियाबाद व हापुड में माह मार्च से जून की अवधि में ईट भट्टों का संचालन मात्र क्लीन फ्यूल (पी0एन0जी0) पर ही किया जाना अनुमत्य होगा। उक्त की अवहेलन पाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**क्षेत्रीय अधिकारी**  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

5. वर्तमान में किसी भी ईट भट्टे में पी0एन0जी0 का प्रयोग कर संचालन करने की व्यवस्था स्थापित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में किसी भी ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जा सकता।

कृ0प0उ0

6. निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया। फोटो ग्राफ निम्नवत् है:-



7. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे की फुकाई बन्द कराई गयी। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टे की फुकाई दिनांक 18.03.2022 में की गई। उक्त के कम में number of days 18.03.2022 से दिनांक 25.03.2022 (N=8) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(08)मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x8x250x0.5x1.0=50,000/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशो की उल्लघन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स एस0आर0 ब्रिक फील्ड(टी0पी0 ब्रिक फील्ड), ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड पर रू0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
(रंजीत सिंह)  
अवर अभियंता

  
(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1959 / 220 / 2022

दिनांक 21/8/2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

*Mail*

विषय: मैसर्स टी०पी० ब्रिक फील्ड (न्यू नाम एस०आ० ब्रिक फील्ड) ग्राम—सिखेडा,  
तहसील—धौलाना, हापुड़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित एवं अभियोजनात्मक  
कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar  
Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022  
के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण दिनांक 23.08.2022 को किया गया।  
विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है।

निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्टा पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं  
अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं  
अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*उत्सव शर्मा*

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

*उत्सव शर्मा*

मैसर्स टी0पी0 ब्रिक फील्ड (न्यू नाम एस0आ0 ब्रिक फील्ड) ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, हापुड की आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-309/2022 Rambharose tomar Krishan Pal Versus State of Uttar Pradesh and other में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को आदेश पारित किए गये हैं, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....Mr. Rambharose Tomar, Patron Member of Rashtriya Manav Adhikar Evam Bhrashtachar Nivaran Sangh, Hapur, Uttar Pradesh has sent the present letter petition complaining that the brick kilns enlisted in the letter petition namely M/s Vikas Brick Field, Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Dev Brick Field Village Gohra, Simbhaoli, Garh, Hapur, M/s Vikas Ent Udyog, Village Sarawani, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s M.T.J Brick Village Sarawani Simbhaoli, Garh, Hapur; m/s M.J.T Ent Udyog, Village Badli, Simbhaoli, Garh, Hapur; M/s Navin Brick Field (Old Name Laxmi Brick Field, Gulshan Brick Field), Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s Nambardar Brick Field, Village Murshadpur Post Harsinghpur, Hapur; M/s T.P Brick Field, Village Sikheda, Dhaulana, Hapur; M/s Sai Brick Field (Old Name Hindi Brick Field), Village Sukhdevpur, Dhaulana, Hapur (Shree Sai Brick Field); and M/s Arif Brick Field, Shikeda Dhaulana, Hapur are illegally operating in violation of environmental norms, rules and regulations.


In view of the serious allegations made in the present letter petition, we consider it appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of SEIAA, State PCB and District Magistrate, Hapur. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.....”

उपरोक्त के क्रम में संयुक्त समिति के सदस्य प्रहलाद सिंह, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, हापुड, डॉ बी0बी0 अवस्थी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण, उ0प्र0, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता एवं सुभाष चन्द्र, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.08.2022 को शिकायत में उल्लेखित ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री इन्द्रपाल ईट भट्टा मैनेजर उपस्थित थे। उक्त ईट भट्टा के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। परन्तु विगत शत्र में ईट भट्टा का संचालन किया गया है।
2. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के अन्दर एवं बाहर पक्की हुयी ईट भण्डारित पायी गयी, जिसकी संख्या उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा लगभग 12 लाख अवगत करायी गयी।
3. उक्त ईट भट्टा की परिधि एक तरफ आयताकार एवं एक तरफ ओवल पायी गयी। ईट भट्टा को पूर्ण रूप से आयताकार में परिवर्तित नहीं किया गया है।
4. ईट भट्टा पर भू-तल से लगभग 110 फीट ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढी स्थापित नहीं पायी गयी।
5. उक्त ईट भट्टा को संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है तथा ईट भट्टा को बोर्ड के पत्र संख्या एच-35888/सी-1/सा0-297/बन्दी आदेश-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।



6. उक्त ईट भट्टा का पूर्व में निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.03.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर बोर्ड के पत्रांक 2287/सी/ईट भट्टा-791/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा रु० 50,000/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या मुख्यालय प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त ईट भट्टा का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बन्द पाया गया था।
7. संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा पर भण्डारित पायी गयी ईटों की मात्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि ईट भट्टा के पूर्व निरीक्षण दिनांक 25.03.2022 एवं 01.06.2022 के मध्य दिनांक 26.06.2022 से दिनांक 30.05.2022 तक ईट भट्टा का संचालन किया गया है। तत्कम में ईट भट्टा पर दिनांक 26.03.2022 से दिनांक 30.05.2022 तक कुल दिन 66 हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाईन के अनुसार रु० 6250/प्रतिदिन- के अनुसार 66x6250=412500/- (रु० चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है।
8. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा के लिये गये फोटो निम्नवत् है:-



9. उक्त ईट भट्टा पर पूर्व में बोर्ड के पत्रांक 2287/सी/ईट भट्टा-791/2022 दिनांक 31.03.2022 द्वारा रु० 50000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।
10. वर्ष-2021 मे भी उक्त ईट भट्टे पर बोर्ड के पत्रांक 2802/सी/ईट भट्टा-770/2021 दिनांक 26.03.2021 द्वारा रु० 31250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। उक्त ईट भट्टा स्वामियों के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 2571/ईट भट्टा-770/19 दिनांक 31.07.2019 द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।

*(Handwritten signature in blue ink)*

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक

  
(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

2802/सी/ईट भटठा-770/2021  
389

संदर्भ संख्या : 2802/सी/ईट भटठा-770/2021

दिनांक 26.3.21

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय: मैसर्स टी०पी० ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स टी०पी० ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड का निरीक्षण इस कार्यालय के कार्मिक द्वारा दिनांक 24.03.2021 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी०एन०जी० द्वारा संचालित ईट भटठों के अतिरिक्त किसी भी ईट भटठे का संचालन अनुमन्य नहीं है। वर्तमान में किसी भी ईट भटठे में पी०एन०जी० का प्रयोग कर संचालन करने की व्यवस्था स्थापित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में किसी भी ईट भटठे का संचालन नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट भटठा मैसर्स टी०पी० ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध रु० 31,250/- (इक्तीस हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

2. मैसर्स टी0पी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड- ज्ञातव्य है कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम सेन्ट्रल पोलूशन बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी0एन0जी0 द्वारा संचालित ईट भट्टों के अतिरिक्त किसी भी ईट भट्टे का संचालन अनुमन्य नहीं है। वर्तमान में किसी भी ईट भट्टे में पी0एन0जी0 का प्रयोग कर संचालन करने की व्यवस्था स्थापित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में किसी भी ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जा सकता। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा संचालित पाया गया। फोटो ग्राफ निम्नवत् है:-



निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे की फुकाई बन्द कराई गयी। जनपद में स्थित सभी ईट भट्टा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्रांक 2580/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भट्टा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्रांक 2576/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भट्टे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप श्री आरिफ, मुशी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टे की फुकाई दिनांक 20.03.2021 में की गई। उक्त के क्रम में number of days 20.03.2021 से दिनांक 24.03.2021 (N=05) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(05)मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x05x250x0.5x1.0=31,250/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों की उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स टी0पी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड पर रू0 31,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

*PK*

*Sam*



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

पत्रांक: १५१॥ इ०प्र० ११०/१९

दिनांक ११-३-१९

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।


विषय: मैसर्स टी०पी० ब्रिक फील्ड, ग्राम सिखेड़ा, धौलाना, जनपद हापुड़ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त अभियोजनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रारूप पर आख्या परिपूरित कर पत्र के साथ संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


भवदीय

  
(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०  
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स टी0 पी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, धौलाना, हापुड ईट भट्ठों के निरीक्षण एवं उनके विरुद्ध कैं जाने वाली अभियोजनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या :-

1. निरीक्षणकर्ता का नाम व पद नाम-बी0के0 सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, सुभाष चन्द्र, वैज्ञानिक सहायक, रंजीत सिंह अवर अभियंता एवं ध्रुव देव वर्मा, प्रयोगशाला सहायक
2. ईट भट्ठों का निरीक्षण दिनांक-(पूर्व निरीक्षण दिनांक 30.04.2019) नवीनतम निरीक्षण दिनांक (30.07.2019)
3. निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम-श्री सुनील, मुन्शी
4. ट्रेड टैक्स विभाग/जिला पंचायत विभाग के अनुसार ईट भट्ठा संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम एवं पूर्ण पता- श्री रिआजुल पुत्र श्री तरीकत।।
5. ईट भट्ठे का स्थापना वर्ष-कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सूचना-2014।
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन की स्थिति-कार्यालय अभिलेखों के अनुसार-नहीं।
7. ईट भट्ठे की उत्पादन क्षमता -लगभग 20000 प्रतिदिन (उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार)।
8. उत्पाद का नाम एवं मात्रा-लगभग 20000 प्रतिदिन (उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार)।
9. कच्चे माल का विवरण -मिट्टी एवं पानी।
10. ईंधन का प्रकार एवं खपत की मात्रा- कोयला/तूरी/लकड़ी- लगभग 2 से 3 टन/दिन।
11. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण -सेटिलिंग चैम्बर एवं चिमनी।
12. सहमति जल एवं वायु स्वीकृत/अस्वीकृत का विवरण - दिनांक 30.01.2018 को आवेदित एवं अस्वीकृत।
13. ट्रेड टैक्स विभाग से ईट भट्ठा संचालन संबंधी सूचना या सम्बन्धित विभाग के वेबसाइट से ईट भट्ठा संचालन का विवरण- श्री रिआजुल पुत्र श्री तरीकत।
14. नाम सहित ईट भट्ठों का फोटो-उपलब्ध नहीं है।
15. अन्य विवरण- कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ-48867/सी-1/जी/वायु सहमति/1814/2014 दिनांक 12.09.2014 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था एवं एच-35888/सी-1/सा0-297/बन्दी आदेश-वायु/2019 दिनांक 15.05.2019 द्वारा बन्दी आदेश जारी है एवं इकाई को पूर्व में अनापत्ति सहमति जल/वायु जारी नहीं है। पूर्व के निरीक्षण दिनांक 30.04.2019 में उक्त ईट भट्ठा इन्ड्यूस्ट्रियल ड्राफ्ट/ हाईड्राफ्ट जिग-जैग ब्रिक सैटिंग एवं आयताकार शेष में पूर्ण रूप से परिवर्तित न करते हुये संचालन प्रारम्भ कर दिया था। वर्तमान के निरीक्षण दिनांक 30.07.2019 को उक्त ईट भट्ठा बन्द पाया गया।

  
(ध्रुव देव वर्मा)  
प्रयोगशाला सहायक

  
(रंजीत सिंह)  
अवर अभियंता

  
(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक


  
(बी0के0 सिंह)  
सहा0 पर्या0 अभियंता

निरीक्षण कर्ता के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

मैसर्स टी0पी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड की निरीक्षण आख्या।

उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। उक्त ईट भट्टा का पूर्व निरीक्षण दिनांक 25.03.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा संचालित पाया गया था। तत्कम में ईट भट्टा का संचालन बन्द कराया गया था तथा ईट भट्टा पर रू0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Amit Gupta*

(अमित गुप्ता)  
जे0आर0एफ0

*Dhruvdev Varma*

(ध्रुवदेव वर्मा)  
एल0ए0

सहा0पर्या0अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी

*K. Singh*

कार्यालय

जिलाधिकारी

हापुड़

फोन नम्बर कार्यालय :- 0122-2304833 ईमेल:-dmhap@nic.in

फैक्स नम्बर :- 0122-2334233 ईमेल:-dmhapur01@gmail.com

पत्रांक 5/03 / एस0टी0-डी0एम/2022

दिनांक 05-2022

9-

उप जिलाधिकारी

हापुड़ / गढमुक्तेश्वर / धौलाना

विषय:-मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. मे दिनांक 08.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-75288/सी-1/एनजीटी-147/2022 दिनांक 09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करे। उक्त पत्र मे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम मे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक CPCB/IPC-V/Brick Kiln/2022 दिनांक 04-05-2022 मे निम्न निर्देश दिये गये है:-

"that those brick kilns units which are not falling into permitted criteria as per order dated 08-04-2022 must be closed with immediate effect and UPPCB take necessary steps to ensure closure of those units"

उक्त के अनुक्रम मे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार जनपद हापुड़ के कुल 67 डिफाल्टर ईट भट्टों का संचालन बन्द किया जाना है, जिसमे जनपद हापुड़ के 67 ईट भट्टों मे तहसील सदर के 18, तहसील धौलाना के 21 एवं तहसील गढमुक्तेश्वर के 25 ईट भट्टे चिन्हित है। जिन पात्र 60 ईट-भट्टे का संचालन किया जाना है उसमें तहसील हापुड़ सदर के 21, तहसील गढमुक्तेश्वर के 14 एवं तहसील धौलाना के 25 ईट भट्टे चिन्हित किये गये है, सूची संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कुल 60 चिन्हित पात्र ईट भट्टों का संचालन नियमानुसार कराया जाय एवं 67 डिफाल्टर ईट भट्टों को तत्काल प्रभाव से बन्द कराते हुए इस आशय का शपथ पत्र तत्काल देना सुनिश्चित करें, जिससे कि आख्या ससमय मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे प्रेषित की जा सके। वाद मे सुनवाई की अग्रिम तिथि 13.05.2022 नियत है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(मेधा रूपम)

जिलाधिकारी

हापुड़

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी

हापुड़

**CPCB Verified list of Hapur**

<b>Sr. No.</b>	<b>Tehsil</b>	<b>Name of Brick Kilns</b>	<b>Consent Status</b>
1	GARHMUTESHWAR	PREM BRICK FIELD, KHASRA NO.-02, VILLAGE-SIKANDERPUR, TESHIL-GHARMUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
2	GARHMUTESHWAR	KUHU BRICK FIELD OLD NAME A S BRICK FIELD, VILLAGE-BEGERPUR, KHASRA NO. 205, SIYANA ROAD, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
3	GARHMUTESHWAR	DHARAM BRICK FIELD, KHASRA NO.180, VILLAGE-BADRKHA, DELHI ROAD, TESHIL-GADHMUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
4	GARHMUTESHWAR	V S DADOO, KHILWAL TEH GARHMUKTESHWER HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
5	GARHMUTESHWAR	KUNWAR BRICK FIELD, village janupura garh,HAPUR,245207	31.07.2023
6	GARHMUTESHWAR	SUDHIR KUMAR DADOO, khasra No-1275, Bihuni Road, Garhmukteshwar, Hapur,HAPUR,	31.07.2023
7	GARHMUTESHWAR	JANUPURA BRICK FIELD, VILLAGE JANUPURA GARH,HAPUR,245205	31.07.2023
8	GARHMUTESHWAR	PRITAM DAYAL DADOO, dadoo bhawan simbhaoli dist hapur up,HAPUR,245207	31.07.2023
9	GARHMUTESHWAR	MUNISH DADOO, DADOO BHAWAN SIMBHAOLI,HAPUR,245207	31.07.2023
10	GARHMUTESHWAR	RAO BRICK FIELD, VILLAGE DAUTAI,HAPUR,245205	31.07.2023
11	GARHMUTESHWAR	DADOO BRICK KILNS, KHASRA NO-272, VILLAGE SARURPUR GARHMUKTESHWAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2022
12	GARHMUTESHWAR	PEERNAGAR BRICK FIELD, Village Peernagar, Garhmukteshwar, Hapur,HAPUR,	31.07.2022
13	GARHMUTESHWAR	M/s S. K. BHATTA, NH 24, GARH, Hapur	31.07.2023
14	GARHMUTESHWAR	M/s KHALID BRICK FIELD village dautai garh,HAPUR,245205 HAPUR	31.07.2023
15	DHOULANA	MALOOK BRICK FIELD, KHASRA NO 540 541 VILL BAJHERA KALAN DHAULANA HAPUR UP GHAZIABAD,HAPUR,245101	31.07.2024
16	DHOULANA	RANA BRICK FIELD(OLD NAME CHAUCHAN BRICK FIELD ), KHASRA NO. 266, 262, 316, 319, 259, 54, 81, VILLAGE BAJHERA KALAN SHUKHDEVPUR, DHAULANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
17	DHOULANA	OM SAI BRICK FIELD(OLD NAME UDAY ENT UDYOG), KHASRA NO. 64, VILLAGE EKLADI, TEHSIL DHAULANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
18	DHOULANA	SHUBH BRICK FIELD OLD NAME ARZOO BRICK FIELD, KHASRA NO-58, VILLAGE-HIMMAT NAGAR, DHAULANA, HAPUR, UP	31.07.2024
19	DHOULANA	RAO BRICKS, Khata no 454 khasra no 1516 Vill Bajhera kalan pargana dasna, tehsil dhaulana,HAPUR	31.07.2023

20	DHOULANA	VISHKARMA BRICK FIELD OLD NAME GANESH BRICK FIELD, VILLAGE-SUKHDEVPUR, TESHIL-DHAULANA, DIT-HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
21	DHOULANA	ANAS BRICK FIELD, VILLAGE-SUKHDEVPUR, TEH-DHAULANA, DISTRICT-HAPUR,HAPUR	31.07.2023
22	DHOULANA	SADAK BRICK FIELD, KHASRA NO-568, VILLAGE BAJHERA KALAN, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
23	DHOULANA	SHREE RAM ENT UDYOG, KHASRA NO-297,298 KARMUDDIN NAGAR, HAPUR, UP	31.07.2023
24	DHOULANA	IRSHAD BRICK FIELD, VILLAGE- AHMADPUR NAYA GAON, TEHSIL- HAPUR, HAPUR, UP	31.07.2023
25	DHOULANA	INDIA BRICK FIELD, VILLAGE- DEHPA AZAMPUR, TEHSIL-DHAULANA, DISTRICT-HAPUR, UP,HAPUR,	31.07.2023
26	DHOULANA	SHRI GANPATI BRICK FIELD, KHASRA NO-1084, 1086, VILLAGE SIKHEDA, TEHSIL DHAULANA, HAPUR,UP,HAPUR,	31.07.2023
27	DHOULANA	ASHISH BRICK FIELD, KHASRA NO-84, VILLAGE DEHPA DOULANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
28	DHOULANA	ANSHUL BRICK FIELD, KHASRA NO-384, 385, VILLAGE HIMMAT NAGAR, HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
29	DHOULANA	TATA BRICK FIELD, VILLAGE BAJHEDA KALA, DHOULANA HAPUR,HAPUR,	31.07.2023
30	DHOULANA	JUNAID BRICK FIELD, KHASRA NO-206, 207, 208, VILLAGE HIMMATNAGAR, DHOLANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2022
31	DHOULANA	DEHPA BRICK UDYOG, KHASRA NO.9, VILLAGE DEHPA, DHOLANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2022
32	DHOULANA	NEW KHAN BRICK FIELD, KHASRA NO-415, 416, 417, VILLAGE AZAMPUR DHOLANA, HAPUR,HAPUR,	31.07.2022
33	DHOULANA	SWASTICK BRICK FIELD, VILLAGE KAPURPUR DHOLANA HAPUR	31.07.2022
34	DHOULANA	NARESH BRICK FIELD, Khasra No. 36 Village Dehpa, Dhaulana, Hapur	31.12.2022
35	DHOULANA	CHETNA BRICK UDYOG, KHASRA NO-193, VILLAGE HIMMATNAGAR, DEHPA DHOLANA, HAPUR	31.12.2022
36	DHOULANA	R.K. BRICK FIELD, VILLAGE KAPOORPUR SAMANA ROAD DHAULANA, HAPUR	31.07.2023
37	DHOULANA	SHREE SAI BRICK FIELD, VILLAGE SHUKDEVPUR DHAULANA HAPUR	31.05.2022
38	DHOULANA	M/s J K Brick Field Khasra no 431 vill Nagla chajju Dhaulana Hapur	31.07.2022
39	DHOULANA	M/s Sama Brick Field Khasra no 13 vill samana gulawthi road dhoulana Hapur	31.07.2022
40	HAPUR	SPR BRICK FIELD, village gohra alagirpur,HAPUR,245101	31.07.2023
41	HAPUR	SIROHI TRADERS, VILLAGE SIKANDARPUR KAKORI, HAPUR,HAPUR,	31.07.2024
42	HAPUR	KKATI KHERA ENT UDYOG, Village Khati Khera, Hapur,HAPUR,	31.07.2023
43	HAPUR	CHAUDHARY BRICK FIELD, VILL KANIYA KALYAN PUR,HAPUR,245101	31.07.2023
44	HAPUR	HINDUSTAN BRICK FIELD, VILLAGE KATHI KHEDA DIST HAPUR,HAPUR,245101	31.07.2023

45	HAPUR	NIDHI CHOUDHARY BRICK WORKS, village salai hapur,HAPUR,245101	31.07.2023
46	HAPUR	GOLDEN BHATTA UDYOG, KHASRA NO- 269, 280, 281, JASHRUP NAGAR, MODINAGAR ROAD, HAPUR, ,HAPUR,	31.07.2023
47	HAPUR	AVON BRICK WORKS, KHASRA NO-1064/2, VILLAGE - CHITAU LI - BULANDSHAHAR ROAD, HAPUR, GHAZIABAD, UP,HAPUR,	31.07.2023
48	HAPUR	CLASSIC BRICK FIELD, Khasra No-216 , 218 village Gondi Hapur,HAPUR,	31.07.2023
49	HAPUR	DHARAM BRICK FIELD, KHASRA NO-467, VILLAGE GONDI,HAPUR,	31.07.2023
50	HAPUR	MAYANK BRICK FIELD, KHASRA NO-393, VILLAGE SALAI,HAPUR,	31.07.2023
51	HAPUR	SADGURU ENT UDYOG, village alipur mode upera tehsile hapur,HAPUR,245101	31.07.2023
52	HAPUR	MS AGARWAL CO, MANOHAR VIHAR GARH ROAD HAPUR,HAPUR,245101	31.07.2023
53	HAPUR	SHREE NATH JEE BRICK FIELD, khasra no-714, 715, 718, village Bachlota, Babugarh, hapur,HAPUR,245201	31.07.2023
54	HAPUR	DEEPAK BRICK FIELD, KHASRA NO-854, VILLAGE SALIA, HAPUR	31.12.2022
55	HAPUR	ADARSH BRICK WORKS, VILLAGE PATTI BARKHANDA FATEHPUR, HAPUR	31.12.2022
56	HAPUR	BHARAT BRICK FIELD, VILLAGE SALAI, HAPUR	31.12.2022
57	HAPUR	RAJENDRA BRICK FIELD OLD NAME UTSAV BRICK FIELD SURAJ BRICK FIELD, KHASRA NO-169 TO 172, VILLAGE GONDI, HAPUR,HAPUR,245101	31.07.2024
58	HAPUR	M/s CHANDRA BRICK FIELD KHASRA NO-363 VILAGE - SADIKPUR, HAPUR,GHAZIABAD, UP GHAZIABAD	31.07.2023
59	HAPUR	M/s GOEL BRICK WORKS KHASRA NO-139, VILLAGE CHITOLI, HAPUR GHAZIABAD	31.07.2023
60	HAPUR	M/s SHREE BALA JEE BRICK FIELD VILLAGE BACCHLOTA,TEH.HAPUR,UP,GHAZIABAD GHAZIABAD	31.07.2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - 14  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं. /सी-१/ सहमति वायु/ बन्दी आदेश/जी -१८१२/२०१५  
Ref. No.....

दिनांक 4/3/15  
Date .....पंजीकृत.....

सेवा में,

मैसर्स श्री चौधरी आरिफ ब्रिक फील्ड,  
ग्राम- सिखेडा, तहसील-धौलाना,  
जनपद-हापुड़।

यह कि मैसर्स श्री चौधरी आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम- सिखेडा, तहसील- धौलाना, जनपद हापुड़ गाजियाबाद एक औद्योगिक संस्था है जो कि ईटों का निर्माण करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा ४०के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि दिनांक १२/६/१४ को पत्र संख्या एफ ४८८७०/सी-१/जी-१८१२/२०१५ द्वारा वायु अधिनियम की धारा ३१ ए में आपके भट्ठे का स्थल उचित न होने के कारण तथा बिना पूर्व सहमति/संचालन हेतु सहमति लिये बिना ही भट्ठा चलाने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यह कि दिनांक १५/१२/१४ को मैसर्स श्री चौधरी आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम- सिखेडा, तहसील- धौलाना, जनपद हापुड़ गाजियाबाद का स्थल निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ईट भट्ठा पर्यावरण अनुभाग उ० प्र० शासन लखनऊ के पत्रांक ६२१/५५/पर्या/१२-६४(पर्या)/११ दिनांक २७/६/१२ के द्वारा प्रख्यापित उ० प्र० ईट भट्ठों(स्थापित हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली २०१२ के अनुरूप नहीं है। ईट भट्ठे से ३०० मी० उत्तर की दिशा में एक अन्य ईट भट्ठा (मै० प्रधान ब्रिक फील्ड) पूर्व से स्थापित है। ईट भट्ठा बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित व संचालित है। इकाई द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक १२/६/१४ द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा ३१ के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का समुचित उत्तर नहीं दिया गया है।

यतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा ३१ के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई मैसर्स श्री चौधरी आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम- सिखेडा, तहसील- धौलाना, जनपद हापुड़ गाजियाबाद के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित आदेश / निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

- मैसर्स श्री चौधरी आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम- सिखेडा, तहसील- धौलाना, जनपद हापुड़ गाजियाबाद द्वारा भट्ठे की स्थापना कार्य/उत्पादन प्रक्रिया के संचालन को तुरन्त बन्द कर दिया जाये।

२. वह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली विद्युत व जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का तत्कालिक प्रभाव से बन्द कर दे।

( जे० एस० यादव )  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

१. जिलाधिकारी, हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारी को उक्त आदेशो का क्रियान्वयन करवाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।
२. उप जिलाधिकारी हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
२. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, गाजियाबाद को उद्योग का जल कनेक्शन विच्छेदित करने हेतु प्रेषित।
३. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०विद्युत पावर कार्पोरेशन,(वितरण खण्ड) गजियाबाद को उद्योग का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने हेतु प्रेषित।
४. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को उक्त आदेशो का क्रियान्वयन कराकर सूचना तत्काल प्रेषित करने हेतु।

  
सदस्य सचिव



## क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 2288 / सी / ईट भटठा-772/2022

दिनांक 31/3/2022

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:** मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड का निरीक्षण इस कार्यालय के कार्मिक द्वारा दिनांक 25.03.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी०एन०जी० द्वारा संचालित ईट भटठों के अतिरिक्त किसी भी ईट भटठे का संचालन अनुमत्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भटठा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भटठा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भटठे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था। वर्तमान वर्ष 2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुपालन हेतु दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित करायी गयी है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भटठे को राज्य बोर्ड के पत्र 56800/सी-1/सहमति वायु/बन्दी आदेश/जी-1812/2015 दिनांक 04.03.2015 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भटठे के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 2684/सी/ईट भटठा/2021 दिनांक 15.03.2021 एवं पत्र संख्या 515/ईट भटठा-772/2021 दिनांक 12.07.2021 द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध रु० 12,500/- (रुपया बारह हजार पाच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी धौलाना, हापुड को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

**मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड की निरीक्षण आख्या।**

उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.03.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री आरिफ उपस्थित थे। विस्तृत आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।
2. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र 56800/सी-1/सहमति वायु/बन्दी आदेश/जी-1812/2015 दिनांक 04.03.2015 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
3. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 2684/सी/ईट भट्टा/2021 दिनांक 15.03.2021 एवं पत्र संख्या 515/ईट भट्टा-772/2021 दिनांक 12.07.2021 द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।
4. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भट्टा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्रांक 2580/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भट्टा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्रांक 2576/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भट्टे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था।
5. वर्तमान वर्ष 2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी0एन0जी0 द्वारा संचालित ईट भट्टों के अतिरिक्त किसी भी ईट भट्टे का संचालन अनुमन्य नहीं है, के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है, जो निम्नवत् है:-

**क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद**  
Regional Office: U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad-201012  
Website: www.uppcb.com | Email: roghaziabad@uppcb.in  
Phone No.: 0120-4160108

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 125/2019 श्री विकास सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य एवं ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 17.02.2021 को पारित आदेशानुसार एन0सी0आर0 क्षेत्र में ईट भट्टों का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में विभिन्न स्तरों से समय-समय पर समस्त ईट भट्टा निर्माताओं / संचालकों / संगठनों को अवगत कराया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार जनपद हापुड व जनपद गाजियाबाद में माह अप्रैल, मई एवं जून में Negative Carrying Capacity दर्शायी गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि


"...Since there is variance of figures given during March to June, only such number can be allowed which can be sustained throughout the period."

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अग्रिम आदेशों तक जनपद गाजियाबाद व हापुड में माह मार्च से जून की अवधि में ईट भट्टों का संचालन मात्र क्लीन फ्यूल (पी0एन0जी0) पर ही किया जाना अनुमन्य होगा। उक्त की अवहेलन पाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**क्षेत्रीय अधिकारी**  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

6. वर्तमान में किसी भी ईट भट्टे में पी0एन0जी0 का प्रयोग कर संचालन करने की व्यवस्था स्थापित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में किसी भी ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जा सकता।


7. निरीक्षण के दौरान उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया। फोटो ग्राफ निम्नवत् है:-




8. निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे की फुकाई बन्द कराई गयी। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टे की फुकाई दिनांक 24.03.2022 में की गई। उक्त के क्रम में number of days 24.03.2022 से दिनांक 25.03.2022 (N=2) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02)मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x2x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशो की उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानो के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
(रंजीत सिंह)  
अवर अभियंता

  
(किशन सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 995/सी/ईट भट्टा-772/2022

दिनांक 02/07/2022

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय: मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.07.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र 56800/सी-1/सहमति वायु/बन्दी आदेश/जी-1812/2015 दिनांक 04.03.2015 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

उपरोक्तानुसार मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रश्मन शुल्क रू0 2,00,000/- अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(उत्सव शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, हापुड को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी-धौलाना, हापुड को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010

**मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड की निरीक्षण आख्या।**

उक्त ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 03.07.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र 56800/सी-1/सहमति वायु/बन्दी आदेश/जी-1812/2015 दिनांक 04.03.2015 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
2. कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पूर्व में ईट भट्टा स्वामियों को इस कार्यालय के पत्रांक 2580/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं ईट भट्टा एसोशियेशन के अध्यक्ष तथा महामंत्री (ईट निर्माता समिति, हापुड) को इस कार्यालय के पत्रांक 2576/एन.जी.टी. ओ.ए. 1016/19/2021 दिनांक 27.02.2021 द्वारा ईट भट्टे का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था।
3. मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. में दिनांक 08.04.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु ईट भट्टा निर्माता समिति, हापुड को इस कार्यालय के पत्रांक 952/सी/सा०पत्रा०-26/2022 दिनांक 01.07.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है।
4. वर्तमान वर्ष 2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2021 के अनुसार जनपद हापुड में पी०एन०जी० द्वारा संचालित ईट भट्टों के अतिरिक्त किसी भी ईट भट्टे का संचालन अनुमत्य नहीं है, के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 03.03.2022 को प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित करायी गयी है, जो निम्नवत् है:-

 **क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद**  
Regional Office: U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad-201012  
Website: www.uppcb.com | Email: roghaziabad@uppcb.in  
Phone No.: 0120-4160108

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 125 / 2019 श्री विकास सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य एवं ओ०ए० संख्या 1016 / 2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 17.02.2021 को पारित आदेशानुसार एन०सी०आर० क्षेत्र में ईट भट्टों का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में विभिन्न स्तरों से समय-समय पर समस्त ईट भट्टा निर्माताओं / संचालकों / संगठनों को अवगत कराया गया है।


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Carrying Capacity के अनुसार जनपद हापुड व जनपद गाजियाबाद में माह अप्रैल, मई एवं जून में Negative Carrying Capacity दर्शायी गयी है। मा० अधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "...Since there is variance of figures given during March to June, only such number can be allowed which can be sustained throughout the period."

उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अग्रिम आदेशों तक जनपद गाजियाबाद व हापुड में माह मार्च से जून की अवधि में ईट भट्टों का संचालन मात्र क्लीन फ्यूल (पी०एन०जी०) पर ही किया जाना अनुमत्य होगा। उक्त की अवहेलन पाये जाने पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**क्षेत्रीय अधिकारी**  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

कू०प०उ०

5. वर्तमान में किसी भी ईट भट्टे में पी0एन0जी0 का प्रयोग कर संचालन करने की व्यवस्था स्थापित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में किसी भी ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जा सकता।
6. निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



7. मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. में दिनांक 08.04.2022 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न शर्तें अधिरोपित करते हुए ईट भट्टों का संचालन अनुमन्य किया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“...Therefore, those units which have the consent to operate and have also declared the production capacity out of the 2164, are permitted to operate subject to the following conditions. In other words, we make it clear that those out of 2164 units, which have not obtained consent to operate and those units which have not declared their production capacity, shall not be permitted to operate....”

निरीक्षण दिनांक 01.06.2022 को तहसील धौलाना के क्षेत्रान्तर्गत संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध के जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 02.06.2022 को आधार तिथि माना जा सकता है तथा दिनांक 02.06.2022 से दिनांक 03.07.2022 तक कुल 32 दिन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	गणना
PIxNxRxSxLF	50x32x250x0.5x1.0=2,00,000/-

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील डायरी नं-18213/2021 NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Ors. में दिनांक 08.04.2022 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः मैसर्स आरिफ ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिखेडा, तहसील-धौलाना, जनपद-हापुड वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रश्मन शुल्क रू0 2,00,000/- अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

*Mil Gupta*

(अमित गुप्ता)  
जे0आर0एफ0

*Gad*

(ध्रुवदेव वर्मा)  
एल0ए0

*K. Singh*

सहा0पर्या0अभियंता / क्षेत्रीय अधिकारी